

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 3(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 205/78-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1978 को अधिवर्त करत हुए 1 जनवरी, 1979 को या उसके पश्चात निकासी की गई, तथा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 की उपमद सं. (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभाव्य चीनी

के लिए एक सौ अस्सी प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है।

[सं. 1/79-के. उ./फा. सं. 7/5/78-के. उ. श. 1]

भुवनेश्वर प्रसाध, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 3(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 205/78 Central Excises, dated the 1st December, 1978, the Central Government hereby fixes a tariff value of one hundred and eighty rupees per quintal for sugar cleared on or after the 1st January, 1979, and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

[No. 1/79-CE/F, No. 7/5 78-CX. I]

B. PROSAD, Under Secy.